आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–67 / 2023	
28.03.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती निर्मला देवी, पोडैयाहाट, जिला–गोड्डा उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित। इस वाद की पिछली सुनवाई दिनांक–11.03.2024 को हुई थी। इससे पहले मामले की सुनवाई दिनांक–08.02.2024 को हुई थी। दिनांक–08.02.2024 की सुनवाई में आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश दिया था कि यदि शिकायतकर्ता का राशन कार्ड तत्काल बनाना संभव नहीं है तो उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष से राशन उपलब्ध करा दें। तत्पश्चात् दिनांक–11.03.2024 की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने दूरभाष पर आयोग को बताया कि कई मुखिया के पास आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि उपलब्ध नहीं है और इस संदर्भ में विभाग से पैसा मांगा गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा इस आशय की जानकारी दिये जाने पर आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग के सदस्य सचिव को यह निर्देश दिया था कि वे इस संदर्भ में विभाग से पत्राचार कर यह सुनिश्चित करने का आग्रह करें कि सभी जिले के सभी मुखिया के पास आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि उपलब्ध हो। साथ ही आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि वे शिकायतकर्ता के आर्थिक स्थिति का आकलन करते हुए यदि कोई विषम परिस्थिति के निर्माण होने की आशंका हो तो वे जिले के उपायुक्त से सम्पर्क कर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कोशिश करें। आयोग के पिछले आदेश के बावजूद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा आयोग के आदेश के अनुपालन कर दिये जाने का कोई प्रमाण न तो अभिलेख में उपलब्ध है और न वे आज सुनवाई में उपस्थित हैं। ऐसे में आयोग उपायुक्त, गोड्डा को निर्देश देता है कि वे इस मामले में तत्काल हस्ताक्षेप करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा से स्पष्टीकरण मांगते हुए इस वाद में शिकायतकर्ता को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आयोग द्वारा विभाग को आकस्मिक खाद्यान्न कोष के संदर्भ में भेजे गये पत्र के आलोक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अवर सचिव, श्री संजय कुमार द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित पत्र की प्रति आयोग को भी भेजी गई है, जिसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा आकस्मिक खाद्यान्न कोष हेतु मांग पत्र नहीं भेजे जाने के कारण आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि आवंटित नहीं किये जाने की बात कही है। ऐसे में आयोग उपायुक्त, गोड्डा को यह निर्देश देता है कि वे इस बात की भी पड़ताल करें कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को गलत जानकारी किस परिस्थिति में दी और सही समय पर विभाग से आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि की मांग नहीं करने के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति का जिम्मेवार कौन है ? आयोग उपायुक्त, को निर्देश देता है कि वे विस्तृत प्रतिवेदन के माध्यम से	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आयोग के आदेश का अनुपालन कर दिये जाने का प्रमाण आयोग को प्रेषित करें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–12.04.2024 को निर्धारित की जाती है। . आदेश की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजें। दिनांक–12.04.2024 को रखें। . (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	